OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

ORDER

In pursuance of Govt. of NCT of Delhi's Order No. 3/17/2016/HP-I/Estt./4394-4400 dated 28.10.2016 and F. No. 3/17/2016/HP-I/Estt./6675 dated 07.02.2017, the Commissioner of Police, Delhi is pleased to assign Special Rank Designation of Asstt. Sub-Inspector (Exe.) to the following HCs (Exe.) (Male) with immediate effect, as recommended by the Review Screening Committee:-

SL. No.	NAME	BELT NO.	PIS NO.	CAT.	C.G. NO.
1	Radhey Shyam	773/CR	28892405	GN	P- 10 1126-143- 0004
2	J. Gopal	1289/C	28941159	ST	P- 10 1126-143- 0005
3	Yogendra Kumar Arya	6665/Sec.	28891963	GN	P- 10 1126-143- 0006
4	Shri Niwas Goswami	2494/PCR	28892393	GN	P- 10 1126-143- 0007
5	Naresh Kumar	118/PHQ	28903139	GN	P- 10 1126-143- 0008

They will be considered for promotion to the post of ASI (Exe.) as and when their turn comes in the regular line of promotion, unless they are found ineligible. They will not affect the regular sanctioned strength of ASIs (Exe.) and the regular promotion to the sanctioned posts will continue to be made as per Delhi Police (Promotion & Confirmation) (Amendment), Rules, 2015 in order of their respective seniority in the rank of HC (Exe.), keeping in view the vacancies in the rank of ASI (Exe.) likely to occur in the following one year.

The ASI (Exe.) (Special Rank) will only be the personal rank of the person so designated. They will be eligible to wear the uniform of Asstt. Sub-Inspector. They will not be eligible for higher pay and allowances by the grant of this rank of Asstt. Sub-Inspector (Special Rank). Their seniority will not be changed in the cadre of Head Constable on the grant of this rank of Asstt. Sub-Inspector (Special Rank). They may exercise such powers under Delhi Police Act which has been vested to the badge/rank they will wear. However, they will not exercise any powers derived from FRSR/CCA rules.

The Special Rank of ASI (Exe.) granted to the above mentioned HCs (Exe.) is liable to be discontinued at any time without assigning any reason.

(ARUN K. SHARMA) ADDL.DCP/HQ-IV
FOR COMMISSIONER OF POLICE: DELHI.

No. A/1/3(IV-21)/2025/79272-282 PROM.CELL/CB-IV/PHQ, dated Delhi, the 10/11/2026.

Copy for information and necessary action to:-

1 DCsP/Central Distt. & Crime, Security and PCR, Delhi/New Delhi for necessary action. The individual may also be informed, accordingly against their proper receipt.
2 ACsP/IT & CB-IV, PHQ, Delhi
3 Inspr. CR/PHQ for informing HC Naresh Kumar No. 118/PHQ (PIS No. 28903139) accordingly against his proper receipt.
4 I/C Promotion Cell/P. Branch/PHQ **(AC-III)**
5 AC-Record/CB, PHQ.
6 I/C-Computer/CB/PHQ for uploading the same in Website of Delhi Police.

P.T.O.

पुलिस आयुक्त कार्यालय : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष संख्या : 011-23746100, एक्सटेंशन 69970

आदेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश संख्या 3/17/2016/HP-I/Estt/4394-4400 दिनांक 28.10.2016 तथा F. No. 3/17/2016/HP-I/Estt./6675 दिनांक 07.02.2017 के अनुपालन में, पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा समीक्षा स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सिपाहियों (कार्यकारी) (पुरुष) को तत्काल प्रभाव से सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) का विशेष रैंक पदनाम प्रदान किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	बेल्ट संख्या	पीआईएस संख्या	श्रेणी	सी.जी. संख्या
1.	राधे श्याम	773/CR	28892405	सामान्य	P-101126-143-0004
2.	जे. गोपाल	1289/C	28941159	अनुसूचित जनजाति	P-101126-143-0005
3.	योगेन्द्र कुमार आर्य	6665/Sec.	28891963	सामान्य	P-101126-143-0006
4.	श्री निवास गोस्वामी	2494/PCR	28892393	सामान्य	P-101126-143-0007
5.	नरेश कुमार	118/PHQ	28903139	सामान्य	P-101126-143-0008

उपर्युक्त कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया में उनकी बारी आने पर, पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने के अधीन, सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। यह विशेष रैंक पदनाम सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के नियमित स्वीकृत पदों की संख्या को प्रभावित नहीं करेगा तथा नियमित स्वीकृत पदों पर पदोन्नतियां दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) (संशोधन) नियम, 2015 के अनुसार, प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में तथा आगामी एक वर्ष में सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए की जाती रहेंगी।

सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) (विशेष रैंक) का पदनाम केवल संबंधित कर्मचारी का व्यक्तिगत रैंक होगा। वे सहायक उप-निरीक्षक की वर्दी धारण करने के पात्र होंगे। सहायक उप-निरीक्षक (विशेष रैंक) प्रदान किए जाने के कारण वे किसी भी प्रकार के उच्च वेतन एवं भत्तों के पात्र नहीं होंगे। इस विशेष रैंक के प्रदान किए जाने से प्रधान सिपाही संवर्ग मे उनकी वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

वे दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, जो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले बैज/रैंक को प्रदान की गई हैं। तथापि, वे एफआरएसआर/सीसीए नियमों के अंतर्गत प्राप्त किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे।

उपर्युक्त प्रधान सिपाहियों (कार्यकारी) को प्रदान किया गया सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) का विशेष रैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(अरुण के. शर्मा)
अपर पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV
कृत पुलिस आयुक्त, दिल्ली

पत्र संख्या A/1/3(IV-21)/2025/7972-82PROM CELL/CB-IV/PHQ दिनांक . दिल्ली, 10/11/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस उपायुक्त/मध्य जिला एवं अपराध, सुरक्षा तथा पीसीआर, दिल्ली/नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित कर्मचारी को भी इसकी सूचना नियमानुसार प्राप्ति रसीद लेकर दी जाए।
2. सहायक पुलिस आयुक्त/आईटी एवं सीबी-IV, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली।
3. निरीक्षक, सीआर/पुलिस मुख्यालय को प्रधान सिपाही नरेश कुमार संख्या 118/PHQ (पीआईएस संख्या 28903139) को नियमानुसार प्राप्ति रसीद लेकर सूचित करने हेतु।
4. प्रभारी, पदोन्नति सेल/पी शाखा/पुलिस मुख्यालय (एसी-III)।
5. सहायक आयुक्त/रिकॉर्ड/सीबी, पुलिस मुख्यालय।
6. प्रभारी-कंप्यूटर/सीबी/पुलिस मुख्यालय को इसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

P.T.O.